

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2025

सा.का.नि.(अ)- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचनासंख्या 10/2025-एकीकृत कर (दर) जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 661(अ) दिनांक 17 सितंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित है, के-

- (i) पृष्ठ 27, पंक्ति 37 में, "2.5%" के स्थान पर "5%" पढ़ें
- (ii) पृष्ठ 32, पंक्ति 23 में, " रबर " के स्थान पर " इरेज़र" पढ़ें
- (iii) पृष्ठ 34, पंक्ति 11 में, "पूजा सामग्री अर्थात:-, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला, तुलसी कांठी माला, पंचगव्य (गाय का गोबर, देसी घी, दूध और दही का मिश्रण);, पवित्र धागा (जिसे आमतौर पर यज्ञोपवीत कहा जाता है);, लकड़ी की खड़ाऊं; पंचामृत,, विभूति,,बिना ब्रांड वाला शहद, दीये की बाती।, रोली, कलावा (रक्षा सूत्र), चंदन टिका" के स्थान पर,

"पूजा समागरी अर्थात:-

- (i) रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला, तुलसी कांठी माला, पंचगव्य (गाय का गोबर, देसी घी, दूध और दही का मिश्रण);
- (ii) पवित्र धागा (जिसे आमतौर पर यज्ञोपवीत कहा जाता है);
- (iii) लकड़ी की खड़ाऊं;
- (iv) पंचामृत;
- (v) विभूति;
- (vi) बिना ब्रांड वाला शहद;
- (vii) दीये की बाती;
- (viii) रोली ;
- (ix) कलावा (रक्षा सूत्र);
- (x) चंदन टिका" पढ़ें;

[फाइल संख्या: सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

(धीरज शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार